

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 447 सन 2022

अनवान :-

1. संदीप कुमार पुत्र शिशपाल जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

बनाम

वादी

1. सुमित्रा पत्नी शिशपाल जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. नितेश कुमार पुत्र शिशपाल जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. सुनीता पुत्री शिशपाल जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
4. अजनां खाती पुत्री शिशपाल जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
5. प्रियंका पुत्री शिशपाल जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
6. राजो पत्नी रामप्रताप जाति खाती निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/71 की कुल 1.1390 हैक् में से 557/2278 हिस्सा भूमि शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है शिशपाल पुत्र रामप्रताप का देहान्त हो चुका है शिशपाल पुत्र रामप्रताप के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं शिशपाल पुत्र रामप्रताप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है जिनका देहानत हो चुका है शिशपाल पुत्र रामप्रताप के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने

अधिकारी
नोहर

निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/71 की कुल 1.1390 हैक् में से 557/2278 हिस्सा भूमि शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है शिशपाल पुत्र रामप्रताप का देहान्त हो चुका है शिशपाल पुत्र रामप्रताप के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं शिशपाल पुत्र रामप्रताप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/71 की कुल 1.1390 हैक् में से 557/2278 हिस्सा भूमि शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है जिनका देहानत हो चुका है शिशपाल पुत्र रामप्रताप के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

इ अधिकारी
नोट

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 के एनएन के खाता संख्या 78/71 की कुल 1. 1390 हैक् में से 557/2278 हिस्सा भूमि शिशपाल पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डीर 20, कुल 6 / जाया दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अन्वयन :-

1. सदीप कुमार पुत्र शिशपाल जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

कसम

वादी

1. सुमिमा फनी शिशपाल जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर।
2. निवेश कुमार पुत्र शिशपाल जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर।
3. सुमीता सुमि शिशपाल जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर।
4. अंजना खादी सुमि शिशपाल जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर।
5. प्रियंका सुमि शिशपाल जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर।
6. रानी फनी सम्प्रदाय जाति खादी निवासी फेफना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जसिय तहसीलदार राजस्थान नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीयण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 447 सन 2022 निर्णय दिनांक-27/06/2022.

आज यह वाद मुझे खादी नोहर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिकारिता वादी एवं पराकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी यादव सक्ता एवं प्रतिवादीयण की सहमति के आधार पर साक्षित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि सदी मोजा तक 1 केएनएन के खाता संख्या 78/71 की कुल 1.1290000 म. स. 557/2278 हेरसा सुमि शिशपाल पुत्र सम्प्रदाय के नाम से दर्ज है का नाम कन्वमलन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिफर्ल में अंकन करन हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संख्या 1000/ रु का स्वाम्य तकमीलन शामिल किया जावे। यदि सुमि बेक के सन 21 का वाद अन्तर्गत राजस्व रिफर्ल में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना कदन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर